

nt>

**14.25 hrs.**

**MATTERS UNDER RULE 377\***

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up matters under Rule 377.

...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except the matter being raised by Shri Javiya.

(Interruptions) \*\*

**श्री जी.जे.जावीया (पोरबंदर)** : उपाध्यक्ष जी, अभी मैंने बोलना शुरू नहीं किया है। ये लोग शांत होंगे तभी तो बोलूंगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Matters under Rule 377 listed for today will be treated as laid on the Table.

Title: Need to take up the matter with Government of Pakistan for release of Indians including fishermen from Gujarat imprisoned in Pakistani jails- Laid.

**श्री जी.जे. जावीया ( पोरबंदर):** अध्यक्ष महोदय, अभी भी पाकिस्तानी जेलों में भारत के कई नागरिक जिसमें पोरबंदर, जामनगर एवं गुजरात के कुछ मछुआरे भी हैं, को पाकिस्तान की जेलों से रिहा नहीं किया। इन सबको वार्ता के नये वातावरण को देखते हुए तुरंत छोड़ा जाना चाहिए एवं भारत को तुरंत इस मामले को पाकिस्तान से बातचीत के जरिये मामला उठाकर निपटाया जाना चाहिए। अभी कितने भारतीय नागरिक एवं मछुआरे पाक जेलों में हैं, उनका लिस्ट भारत को पाकिस्तान से मांगना चाहिए।

\*Treated as laid on the Table .

\*\*Not Recorded.